

विचार बिन्दु

असफलता नहीं, अपितु निकृष्ट ध्येय ही अपराध है। –जे. आर. लावेल

हादसा-दर-हादसा, न कोई जिम्मेदार न किसी को सजा

ग
त चार दिनों में देश में तीन बड़े हादसे हुए— पहला, 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जाने वाले एयर इंडिया के विमान के क्रैश होने से 241 यात्रियों एवं लगभग 60 अन्य व्यक्तियों की दर्दनाक मौत, दूसरा हादसा केदारनाथ जाने वाले हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से पायलट समेत सात यात्रियों की मृत्यु और तीसरा हादसा पुणे शहर में पुल के टूटने से लगभग 30 पर्यटक नदी में बहने का, जिनसे से तीन के मृत्यु की पुष्टि आइए, हम इन पर एक-एक कर विचार करें। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का विमान एआई 171 बोइंग ड्रीम लाइनर 787 उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त होकर क्रैश हो गया और इसके कारण विमान में सवार 242 व्यक्तियों में से 241 की मृत्यु हो गई। इसके अलावा मेडिकल हॉस्टल और उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लगभग 60 लोगों की भी मृत्यु हो गई। ये मलबे में दबकर अथवा विमान में लगी आग के कारण जलने से मौत का शिकार हुए।

न्याय संहिता के अनुसार एक व्यक्ति को हत्या करने पर दोषी को आजीवन कारावास अथवा फांसी की सजा होती है। इस विमान हादसे में लगभग 300 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, किंतु किसी को दोषी माना जाकर सजा दी जाने की संभावना, पूर्व अनुभव के आधार पर नगण्य है। भारत सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति बना दी है जो तीन माह में अपनी रिपोर्ट देगी। ऐसा ही हर हादसे के समय होता है। जांच होती है, मुआवजा दिया जाता है, रिपोर्ट आती है, किंतु न किसी की जिम्मेदारी तय होती है और न किसी को सजा मिलती है। लोग अगले हादसे के इंतजार में लग जाते हैं।

विमान हादसे में मारे गए डॉ प्रतिक जोशी का पूरा परिवार था जो लंदन में बसने के लिए इस विमान से जा रहा था। इसी हादसे में भाई-बहन शुभ और शगुन मोदी भी मृत्यु के शिकार हो गए, जो घूमने के लिए लंदन जा रहे थे। एक व्यक्ति जिसकी कोर्ट मेंरिज दो दिन पहले ही हुई थी वह भी हादसे का शिकार हो गया, जबकि उसकी शादी कुछ समय बाद समागह पूर्वक होनी थी। मारे गए प्रत्येक परिवार की एक दर्दनाक कहानी है जिसे उनके परिजन जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं पाएंगे। हां, यह अवश्य है कि सरकार द्वारा इसे भी अन्य हादसों की तरह एक और हादसा साबित कर दिया जाएगा जिसके लिए कोई दोषी नहीं उठराया जाएगा एवं न किसी को सजा दी जाएगी। यही वह कारण है जिससे ऐसे हादसे रुकते नहीं हैं।

जिम्मेदारी तय न होने वाले कुछ हादसों का उल्लेख करना उपयुक्त होगा।

बिजली के झुलते तारों से संपर्क में आने पर बसों में करंट से अनेक लोग झुलसने से मर गए, किंतु इसके लिए किसी को दोषी नहीं उठराया गया एवं न किसी को सजा दी गई। इसे हादसा माना जाएगा। या किसी विद्युत अभियंता के द्वारा की गई हत्या क्योंकि उसने अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया?

मोटरसाइकिल पर जाने वाला व्यक्ति सड़क पर बैठ हुए किसी सांड से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और उसकी मृत्यु हो जाए तब भी किसी को जिम्मेदार नहीं उठराया जाएगा, न नगर निगम के किसी व्यक्ति को इसके लिए सजा मिलेगी। सड़क पर स्ट्रीट लाइट के अभाव में प्रकाश व्यवस्था न होने से अंधेरे में वाहन चलाते हुए यदि कोई वाहन चालक खड्डे में गिरकर चोटिल हो जाए या मर जाए तो भी उसने किए कोई जिम्मेदार नहीं है। यही कहा जाना है कि यह विधि का विधान है और परिजन भी इसे अपना भाग्य मानकर, थक- हार कर बैठ जाते हैं।

अस्पताल में किसी व्यक्ति को गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने से उसकी मृत्यु हो जाए फिर भी डॉक्टर, कर्मचारियों या अस्पताल प्रशासन को दोषी मानकर किसी को सजा दी गई हो, ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

लगभग दो साल पहले जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भांकरोटोटा के पास गलत कट देने के कारण टैंकर और बस में टक्कर के कारण विस्फोट होने से कई व्यक्ति झुलस कर मर गए। यह जानकारी नहीं है कि इस लापरवाही के लिए किसी को जिम्मेदारी निर्धारित की जाकर उसे दंडित किया गया हो।

लंबे समय तक सड़क चौड़ी करने के बाद, तारों को हटाने के बाद भी कई महानों तक खंभे, बीच में ही गड़ते रहते हैं। इन खंभों से अंधेरे में टकराकर यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर अपनी जान से हाथ धीं बंदे, तो क्या उसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं उठराया जाना चाहिए? जिम्मेदार नहीं उठराए जाने की यही प्रकृति ऐसी दुर्घटनाओं को प्रोत्साहित करती है। हाल ही में जयपुर में एक ज्वेलर की फैक्ट्री के सेफ्टी टैंक में सफाई कर रहे श्रमिकों में से चार की जहलती गैस के कारण मौत हो गई। इसे प्राकृतिक आपदा नहीं कहा जा सकता। इसके लिए क्या उन जिम्मेदार व्यक्तियों जिन्होंने अपने मजदूरों को सेफ्टी टैंक में उतरने के लिए बाध्य किया, के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज नहीं होना चाहिए?

एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त वायुयान के वाईस प्रेसिडेंट से मिली प्रारंभिक जानकारी से पता लगता है कि चालक ने यह संदेश दिया था—मे डे... मे डे...मे डे...तो पावर...ओ प्रस्ट...गोइंग डाउन...”। क्या इस प्रकार की स्थिति आने के लिए विमान

कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि विभिन्न हादसों में किसी उच्च अधिकारी या मंत्री की जिम्मेदारी तय न किया जाना ही इस प्रकार के हादसे को रोकने में असफल होने का प्रमुख कारण है। आशा की जानी चाहिए कि इस बार ऐसा नहीं होगा और उच्च स्तर पर बैठे दोषी व्यक्तियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी एवं उन्हें हत्या के आरोपी की तरह दंडित किया जाएगा। जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा।

व्यवस्था के साथ यह विमान अहमदाबाद से उड़ान नहीं भर पाता और तब शायद यह हादसा नहीं होता। किसी यांत्रिक कमी के कारण कोई अवस्था समय पर सही तरह काम नहीं करे तो इसके लिए विमान कंपनी को दोषी माना जाना चाहिए। यदि विमान के उड़ान से पूर्व सुरक्षा मानकों की पालना सुनिश्चित नहीं की गई, तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों को दोषी क्यों नहीं करार दिया जा सकता?

यह बताया गया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डायरेक्टर, जनरल सिविल एविएशन एवं इनके अधीनस्थ विभागों में में अनेक पर रिक्त पड़े हैं। इनके कारण आवश्यक सुझावों में कोताही होना स्वाभाविक था। यही इंग्लालानर एवाई जहाज उसी दिन तारों, दिल्ली से अहमदाबाद आया था और उसके बारे में यात्रियों ने शिकायत की थी कि एयर कंडीशनर और प्रकाश व्यवस्था उपयुक्त नहीं थी। कहा जा सकता है कि इन कमीयों का सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है, किंतु यह तो स्पष्ट है कि उड़ान से पूर्व विमान की सारी व्यवस्थाओं की जो जांच हो जानी चाहिए थी, उसमें कहीं लापरवाही बरती गई थी। सकारो संस्थाओं में जिनके ऊपर पर्याप्त संस्था में कर्मचारियों को लगाने को जिम्मेदारी है, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? यूपेनर्जी ऑफिश शाह ने तो दुर्घटना स्थल पर यह कह दिया कि यह मात्र दुर्घटना है। यह अहं और समझना होगा कि मानव द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण होने वाली दुर्घटना, दुर्घटना नहीं है। यह हत्या की श्रेणी में आता है, जिसके लिए दोषियों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिए।

सरकार ने जांच समिति को तीन माह में रिपोर्ट देते हेतु कहा है। तीन माह का समय बहुत लंबा होता है। तब तक शायद इस दुर्घटना को भुला दिया जाएगा। केवल उन परिवारों को यह दुःख जीवन भर सालता रहेगा, जिन्होंने अपने परिजनों को इसमें खोया है।

15 जून, 2025 को केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे यही कारण था कि हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनियों ने न सुरक्षा का कोई ध्यान रखा, न पायलट कितने घंटे काम कर रहे हैं, इस पर सरकार की एग्रेसिवों ने कोई ध्यान दिया। हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनियों का उद्देश्य केवल मात्र यात्रियों से अधिकाधिक पैसे वसूल करना रहा। 3000 रुपए के टिकट के लिए 25000 तक दलालों के माध्यम से वसूल किए जा रहे थे। यदि इसके लिए कोई एप ओ पी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) होता और उसकी पूरी पालना की जाती, तो निरंतर होने वाली सैसी दुर्घटनाएं नहीं होतीं और पर्यटकों को बेमौत नहीं मरना पड़ता। इसे भी संभव है, एक हादसा बता कर हेलीकॉप्टर कंपनी फिर पैसे कमाने में मदद जाएगी।

15 जून को ही पुणे में इंद्रायणी नदी पर बने पुल के टूटने से अनेक लोग बह गए जिनमें से चार की मौत हो गई। इस पुल को बहुत पुराना और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होना बताया गया है। यदि वह पुराना था और चलने लायक नहीं था तो, उसे बंद क्यों नहीं किया गया? क्या इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है?

हादसों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक वे, जो मनुष्य के नियंत्रण से बाहर हैं एवं केवल पूरी तरह प्राकृतिक आपदा हैं जैसे भूकंप, आकाश के विजली गिरना आदि। दूसरे वे, जो मानव निर्मित हैं जैसे सड़क में खड्डे होना, बिजली के झुलते तार होना, किसी भी वायुयान को समय पर सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त और पर्याप्त जांच न होना, व्यक्ति को सेफ्टी टैंक में उतारना, नाव में बैठे व्यक्तियों का लाइफ बैकेट के अभाव में दूब कर मर जाना। इनके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों का कृत्य किसी भी दृष्टि से क्षय अपराध नहीं है। ऐसे प्रकरण में व्यक्ति विशेष को जिम्मेदारी तय की जाकर उसे दंड दिया जाना आवश्यक है। केवल छोटे कर्मचारियों, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने से भी काम नहीं चलेगा। इसके लिए जब तक बड़े अधिकारियों और मंत्रियों आदि को जिम्मेदार मानकर कर उनको दंडित नहीं किया जाएगा, तब तक इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकना संभव नहीं होगा।

नैतिकता तो वैसे भी आजकल के जर्नलिस्टों में बची ही नहीं है। आजकल लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता तो है नहीं, जिन्होंने केवल एक रेल दुर्घटना के कारण रेल मंत्री के पर से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ तो देश के सबसे बड़े हादसे में 300 व्यक्तियों के मारे जाने के बावजूद न तो सिविल एविएशन मंत्री ने इस्तीफा दिया एवं न इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधामंत्री ने देश को संबोधित कर कड़ी कार्यवाही का आवासन दिया।

ऐसे विमान हादसों में जिम्मेदारी से बचने का सबसे आसान तरीका यह होता है कि पायलट को दोषी बता दिया जाए, क्योंकि पायलट की तो मृत्यु हो चुकी है। उसका कोई बयान भी नहीं आ सकता। ऐसा करते मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है।

यह उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया का अधिहाज टाटा ग्रुप ने रतन टाटा के जीवन काल में किया था किंतु कुछ ही समय बाद रतन टाटा का स्वर्गवास हो गया। इन बात का केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि रतन टाटा जीवित होते तो क्या वे सुरक्षा मानकों में इस प्रकार की कोताही बर्दाश्त करते?

कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि विभिन्न हादसों में किसी उच्च अधिकारी या मंत्री को जिम्मेदारी तय न किया जाना ही इस प्रकार के हादसे को रोकने में असफल होने का प्रमुख कारण है। आशा की जानी चाहिए कि इस बार ऐसा नहीं होगा और उच्च स्तर पर बैठे दोषी व्यक्तियों को जिम्मेदारी तय की जाएगी एवं उन्हें हत्या के आरोपी की तरह दंडित किया जाएगा। जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि फिर वही कहानी दोहराई जाए कि हादसा हुआ, जांच हुई, मुआवजा मिला और फिर उसे भुला दिया गया। यदि ऐसा हुआ तो यह उपरोक्त लिखित तीनों हादसों में मारे गए व्यक्तियों के परिजनों के धाव पर नफ़ा छिड़कने जैसा ही होगा। यदि एक बार उच्च स्तर पर जिम्मेदार व्यक्तियों को हत्या के आरोपी की तरह सजा दे दी गई तो भविष्य में सुरक्षा के काम को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति से भी बचा जा सकेगा। जवाब देही को संस्कृति को बढ़ावा देना होगा ताकि विभिन्न मानव निर्मित हादसों का शिकार होकर निंदित लोग अपना जीवन न खोएं।

—अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भागवत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

राशिकल

मंगलवार 17 जून, 2025

आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, षष्ठि तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत २०82, शतभिषा नवम्र रात्रि १:०2 तक, विक्रमस्य योग प्रातः 9:३4 तक, वणिज करण दिन 2:47 तक, चरित्र आज कुम्भ राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-कुम्भ, मंगल-सिंह, बुध-मिथुन, गुरू-मिथुन,

शुक्र-मेघ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज रविवयोग रात्रि १:०2 तक है। त्रिपुचक्र योग रात्रि 1:०2 से सूर्योदय तक है। आज भद्रा दिन 2:47 से रात्रि 2:11 तक है और पंचक है।

श्रेष्ठ चौषाड़िया: चर 9:०2 से 1०:45 तक, लाभ अमृत १०:45 से 2:1० तक, शुभ 3:51 से 5:33 तक।

राहूकाल: 3:०० से 4:3० तक। सूर्योदय 5:37, सूर्यास्त 7:18



नवीन कुमार आनंदकर

राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है, जो अपनी भिन्न-भिन्न भौगोलिक छटाओं के साथ प्रकृति की शुष्कता में अपने रहवासियों की जीवटता के बल पर उत्सव, उल्लास, परंपरा व संस्कृति के असंख्य रंगों से रंगा हुआ है। इन्हीं रंगों में से एक रंग प्रदेश की जल के प्रति आस्था व उसके संरक्षण को लेकर विकसित की गई परंपरागत विधियां हैं। पानी की महत्त्वता यहां की लोकोक्ति “धी दुले म्हारो, कुछ न जासी थारो, पानी दुले थारो जी बळे म्हारो” में भी दृष्टिगत होती है। इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में शुरू किया है- “वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान”। इस

अभियान के माध्यम से प्रदेश में जल संरक्षण को नई दिशा दी जा रही है। वृंद-वृंद को मोती के समान सहेजने की हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत रही है। यही विरासत हमें जल संरक्षण की सबसे बड़ी सीख देती है। बरसात और पानी का आना राजस्थानी लोक जीवन में मंगल और उत्सव का सूचक है। इसी से वर्षा ऋतु को लेकर असंख्य लोकगीत राजस्थान में हैं। कृषि से जुड़े व्योहार, वर्षा से जुड़ी लोकोक्तियां पानी के महत्व और संरक्षण से जुड़ी परंपराएं व आस्था राजस्थान की जल संचयन संस्कृति को दर्शाती हैं। हमारे पुरखों की भाँति यदि हम वर्षा जल संचयन को लेकर सतर्क नहीं हुए तो भविष्य में भू-जल संकट का सामना हमारी निर्यति बन जाएगा। वैश्विक स्तर की बात करें तो दुनिया की एक-चौथाई आबादी जल संकट से जूझ रही है। प्रेश में वर्षा की कमी तथा भू-जल के सीमित भंडारों के दृष्टिगत नई तकनीकों से युक्त वर्षा जल संरक्षण पद्धतियों के साथ ही परंपरिक विधियां भी उपयोगी हैं, इनमें प्रमुखतः इस प्रकार है-

बावड़ी :— बावड़ियों का निर्माण मुख्य रूप से जल संरक्षण के लिए ही किया गया था। यह एक प्राचीन तकनीक थी, जो पानी के भंडारण और उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। राजस्थान में आज भी कई प्रसिद्ध बावड़ियां हैं, जो अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जानी जाती हैं।

टोबा :— नाड़ी के समान आकृति वाला जल संग्रह केन्द्र ‘टोबा’ कहालता है। इसमें ढलान नीचे की ओर होता है, जिससे वर्षा जल का इसमें संग्रहण हो जाता है।

खडीन :— जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित परंपरिक जल संचयन संरचना है। यह राजस्थान की शुष्क जलवायु में कृषि के लिए उपयोग की जाती है। इसमें एक लंबी, मिट्टी का बांध होता है, जो ढलानों के पार बनाया जाता है, ताकि बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके। इनके अलावा कुई, जोहड़, तालाब, झालार आदि जल संरक्षण की विधियां भी

आदत में शुमार था। उनकी जड़ें परंपरा और रिवाजों में गहरी थीं। समाज को कैसे बांधे रखें, ये उनकी पहली प्राथमिकता थी।

नई पीढ़ी का रुख:— इधर नई पीढ़ी, जो टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के बीच पली-बढ़ी है, उसकी सोच और ख्यालेंशें बिल्कुल बदल गई हैं। ये ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं, आज़ाद ख्याल हैं और अपनी निजी जिंदगी को तरजीह देते हैं। इंटरनेट के जरिए दुनिया भर का अनावश्यक एवं अवांछनीय ज्ञान जिसकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है वह उनकी मुट्ठी में है, जिससे उनकी सोच का दायरा काफी बदल गया है या बड़ा हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट और नई चीज़ों को पसंद करते हैं। समाज में बदलाव को लेकर

कहां दिखता है ये फर्क?
ये फर्क हर जगह दिख जाता है:-

1. पढ़ाई-लिखाई: पुराने लोगों के लिए शिक्षा का मतलब था ज्ञान और चरित्र बनाना। आज के युवा इसे करियर बनाने और पैसा कमाने का ज़रिया मानते हैं।

2. नौकरी-धंधा: पहले स्टेबिलिटी और सुरक्षा सबसे बड़ी बात थी। आज का युवा जो खिम्म उठाकर अपना काम शुरू करना (स्टार्टअप) चाहता है।

प्रदेश के विभिन्न भागों में अन्य नामों से प्रचलित रही हैं।

जल संकट राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। राज्य के अधिकांश हिस्से कृषि पर निर्भर हैं और कृषि के लिए जल की आपूर्ति के बिना उत्पादन को बढ़ाना असंभव हो जाता है। इसके अलावा बढ़ती आबादी और औद्योगीकरण ने भी जल संसाधनों की मांग को और बढ़ा दिया है। वर्षा जल संरक्षण, आधुनिक सिंचाई तकनीकों का उपयोग, जल पुनर्चक्रण और जल प्रबंधन उपायों के माध्यम से जल संकट को टाला जा सकता है। एक संयुक्त प्रयास ही जल संकट से निपटने के लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। अगर समय रहते सही कदम उड़ाए जाएं तो जल संकट की चुनौती से निपटा जा सकता है, जिससे कृषि, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा। नवाचार व प्राचीन पद्धतियों के समागम तथा जल संरक्षण के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से राजस्थान में जल संकट की स्थिति में सुधार संभव है। इन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जन चेतना सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश में जल

नई और पुरानी पीढ़ी के बीच द्वंद्व और प्रतिद्वंद : एक विचारणीय प्रश्न!

है, जो मुफ्त में मिल सकती है, लेकिन वे उसे पाना ही नहीं चाहते। अपने आप को ही सबसे ज्यादा जानकार समझने की गलतफहमी में जी रहे हैं।

आज का युवा मानता है कि जो वो जानता है, वो उसके भविष्य के लिए काफी है। पर असलियत इससे उलट है। जिन लोगों ने 3० -4०- 5० साल की जिंदगी के तजुबों देखे हैं, उन्होंने भारत में हर तरह के बदलाव को अपनी आँखों से देखा है।

परिवारों की नई मुसीबतें:-
पिछले 2०-25 सालों में मैंने परिवारों में कुछ नए तरह के झगड़े भी देखे हैं:-

1. माँ-बाप की खींचतान का फायदा: अगर पति-पत्नी में तनाव रहता है या उनकी सोच अलग है, तो बच्चे इसका पूरा फायदा उठाते हैं। जिस काम के लिए उन्हें लगता है पापा मना कर देंगे, वो मम्मी से कहते हैं। और अगर लगता है मम्मी नहीं मानेंगी, तो पापा से पूछते हैं। नतीजा? माँ-बाप में झगड़ा हो जाता है, और बच्चे चैन से अपनी मनमर्जी करते रहते हैं।

2. बच्चों को गलत तरीके से अपने पाले में करना: कई बार माएँ बच्चों के ये सोचकर ज्यादा लाड़-प्यार देने लगती हैं कि बुढ़ापे में यही काम आएँगे। वो बच्चों को पिता की बात न मानने के लिए उकसाती हैं। बच्चों का

राजस्थानी भाषा का मुद्दा भावनात्मक मुद्दा है जो पहचान और स्वाभिमान दोनों से जुड़ा हुआ है

2०2० के तहत प्रस्तावित त्रि-भाषा फामूले में भी राजस्थानी भाषा को शामिल नहीं किया। बावजूद इसके भी बड़े आंदोलन की रणनीति नहीं बनी। त्रि-भाषा फामूले की वकालत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2०20 करती है। जबकि राजस्थान मानता है कि राजस्थानी- हिंदी और अंग्रेजी शिक्षा और रोजगार के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। जबकि राजस्थानी भाषा को तीसरी भाषा के रूप में अथवा राजस्थान में दूसरी राजभाषा बनाने की मांग लगातार होती रही है।

राजस्थानी भाषा समाज के लोगों को आपस में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। विवाद का कारण तो तब हुआ है जब राजस्थानी भाषा को मान्यता देने का काम किया है और हिंदी भाषा के बीच बेहद समृद्ध परंपरा रही है। यह बात समझ से परे है कि सरकार आखिर क्यों नहीं चाहती कि राजस्थानी भाषा को सामाजिक में पढ़ाया जाए। राजस्थान के लिए यह बड़ी दिव्यबन्हा है कि हिंदी से बहुत

पहले की भाषा और राजस्थान की मातृभाषा पढ़ने के लिए आन्दोलन करने पड़ते हैं। प्रदेश की जमी पर स्थापित राजस्थान के समस्त विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के स्थाई विभाग तक नहीं हैं।

राजस्थान में ही राजस्थानी की यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

इस डिजिटल युग में सामाजिक जरूरतों और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ती के लिए जब जरूरी माना जाने लगा तो ऐसे में राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिलने से लगभग बारह करोड़ राजस्थानी डिजिटल युग में समाजिक और आर्थिक चुनौतियों का मुकाबला कैसे कर सकेंगे। राजस्थानी भाषा को मान्यता के बिना अनेक लोग आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से डिजिटल दुनिया से बाहर रह सकते हैं। यह असमानता को भी बढ़ा सकता है और सामाजिक तनाव भी पैदा कर सकता है। 12 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को सामाजिक दूरी बनाए रखना उचित नहीं है। राजस्थानी भाषा का मुद्दा भावनात्मक मुद्दा है जो पहचान

और स्वाभिमान दोनों से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री की मेट्रो ट्रेन के सफर के दौरान छात्रों से बातचीत नाए आती है जब खुद प्रधानमंत्री ने सह यात्री छात्रों से भाषा संबंधी जानकारी ली एवं उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उन्हें अन्य राज्यों की भाषाएं भी जाननी और सीखनी चाहिए। आज की चर्चा का मूल मुद्दा यह है कि राजस्थान में संचालित राजकीय एवं गैर राजकीय विश्वविद्यालयों में अनिवार्य रूप से स्थाई राजस्थानी विभाग संचालित किये जाए। जब स्थाई राजस्थानी विभाग संचालित होंगे तो वहां शोध कार्य भी होंगे और राजस्थानी में शोध कार्य से दुनिया भर को राजस्थानी लोक के बारे में जानकारी मिलेगी, राजस्थानी संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, यहां के हवेलियों और महलों के बारे में जानकारी मिलेगी। यहां के फोंग से दुनिया परिचित हो सकेगी। पूरे दुख इस बात का है पहले से स्थापित विश्वविद्यालय और नये खुल रहे विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के स्थाई विभाग नहीं हैं।

—राजेन्द्र जोशी, शिक्षाविद-साहित्यकार



सुनील दत्त गोयल

आज, हमारे भारत के बारे में एक कड़वा सच लिखने बैठे हैं। बात है नई जमाने के लोगों और पुरानी पीढ़ी के बीच के फासले की। दोनों की सोच, समझ और जिंदगी देखने का नजरिया कितना अलग हो गया है, ये गौर करने वाली बात है। ये भी देखना जरूरी है कि इस सोच के फर्क का हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है? फायदा क्या है, नुकसान क्या हो रहा है?

पुरानी पीढ़ी का नजरिया:- वो लोग जिन्होंने गुलामी का दौर देखा, आज़ादी की लड़ाई देखी, देश का बंटवारा झेला, और फिर उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ते भारत को देखा... उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग हालात में गुज़री। उनके मूल्य बने थे त्याग, संयम और सबके भले की सोच पर। कम संसाधनों में गुज़ारा करना, मुश्किलों का सामना करना उनकी



राजेन्द्र जोशी

विश्वविद्यालयों में राजस्थानी भाषा के स्थाई विभाग खुले
भारत का संविधान प्रत्येक राज्य को अपनी भाषा नीति तय करने की स्वतंत्रता दे रहा है। तमिलनाडु सहित अनेक राज्यों में भाषाई विवाद सामने आया है। साथ ही वहां की सरकारें भी भाषा के प्रति सदैव संवेदनशील रही है। हम चाहते हैं कि हमारे देश की प्रांतीय भाषाओं में किसी भी प्रकार का

मिथुन
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशवासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बन्दे लगेंगे। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे आसौ मतभेद समाप्त होंगे। महत्वपूर्ण मामलों में परिचितों से संयोग मिलेगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

कर्क
चन्द्रमा अद्यम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यक्तिगत परेशानियों के कारण प्राग्दीर्घ रहेगी।

मकर
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बन्दे लगेंगे। संभावित ख़ोत से घन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। व्यावसायिक सुविधाएं बढ़ेंगी।

सिंह
परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न होसकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशवासन प्राप्त होगा।

कुंभ
मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

कन्या
आर्थिक मामलों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। अटक हुआ घन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। नौकरिपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

मीन
घर-गृहस्था के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदीर्घ रहेगी। अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो सकती है।